अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

सत्र 2011–12

बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु
अहर्ता के सम्बंध में सूचना/आदेश

दिनांक 10/08/2011

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा जारी गाईडलाइन में आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता एवं WP No.13282/2011 and 12849/2011 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशानुसार दिनांक 9 अगस्त, 2011 को काउंसलिंग समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि बी. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) के दिशा निर्देशों में दिये अनुसार ऐसे समस्त अभ्यर्थी भी बी.आर्किटेक्चर–2011 की काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकते है, जिन्होने नाटा (NATA) की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा निम्नलिखित अहर्ता भी रखते है :–

1. (10+2) प्रणाली की 12 वीं की परीक्षा गणित विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अकों के साथ उत्तीर्ण ।
2. केन्द्र/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त (10+3) डिप्लोमा किसी भी संकाय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अकों के साथ उत्तीर्ण ।

उपरोक्त अर्हता रखने वाले ऐसे सभी अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हो सके वे दिनांक 17/08/2011 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सत्यापन तथा च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही सम्पादित कर सकते हैं।

- **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।

- सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश